न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 06/2023

खादीम हुसैन पुत्र स्व. हाजी इदु बडगुजर जाति व्यापारी निवासी इमाम नगर, रोड न. 2 व 3 के बीच, झुन्झुनू तहसील जिला झुन्झुनू (राज.)

वादी

बनाम

1. फारूक पुत्र सायरा व अहमद जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 14. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

2 इस्माईल पुत्र सायरा व अहमद जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 14, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

3. इकबाल पुत्र सुलेमान जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 14, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

4. जाकीर पुत्र हनीफ खां जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 12, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

5. जावेद पुत्र हनीफ खां जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 14, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज)

6. दाउद पुत्र हनीफ खां जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 12, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

7. नूरजहां पुत्री हनीफ खां जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 14, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

8. मोहम्मद मौसीन पुत्र मकबूल सैयद जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 14, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

9. असगर पुत्र हुसैन जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 18, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

10. रफीक पुत्र हुसैन जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 18, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

11. सलीम पुत्र हुसैन जाति व्यापारी निवासी वार्ड न. 18. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज)

12 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज

प्रतिवादीगण

वकील वादीगण– श्री मुर्करम अंसारी एडवाकेट

दावा घोषणार्थ, एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

दिनांकः– 09.01.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 725/2 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 725/1 रकबा 4 बीघा 19 विश्वा, खसरा नम्बर 741/2 रकबा 4 बीघा 17, खसरा नम्बर 741/1 रकबा 4 बीघा 2 विश्वा स्थित रहे है जिसके हाल खसरा नम्बर 1744 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1745 रकबा 1.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 1746 रकबा 1. 23 हैक्टर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.78 हैक्टर भूमि अवस्थित है।वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पहले तुला कौम कसाई की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थीं। जिसपर तुला के फौत होने पर उसके तीन पुत्र छोटू, चान्दु व जमाल काबिज काश्त हुवे लेकिन राजस्व रिकार्ड में केवल छोटू पुत्र तुला का नाम ही दर्ज हुआ जिसके लिए उपखण्ड अधिकारी महोदय झुन्झुनू में एक दावा उनवानी सुलेमान बनाम हनीफ वगै मु.न. 141/1990 किया जिसका निर्णय दिनांक 20/11/1991 को हुआ जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण संख्या 1157 भरा गया जिसके अनुसार सुलेमान पुत्र छोटू खां, हनीफ पुत्र छोटू खां असगर पुत्र हुसैन, रफीक पुत्र हुसैन व सलीम पुत्र हुसैन के हिस्से में खसरा नम्बर 741/2 मीन में 17 विश्वा, 741/1 रकबा 4 बीघा 2 विश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 19 विश्वा भूमि हिस्से में आई। इसी प्रकार शायरा पुत्री चन्दू पत्नी अहमद के हिस्से में 725/1 रकबा 4 बीघा, 725/2 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा भूमि हिस्से में आई।इसी प्रकार रफीक व अन्दुल जब्बार पुत्र जमाल के हिस्से में खसरा नम्बर 741/2 रकबा 4 बीघा व 725/1 रकबा 19 विश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 19 विश्या भूमि हिस्से में आई। इसी अनुसार नामातंरकरण संख्या 1157 तस्दीक हुआ तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद होते वक्त शायरा पुत्री चांदू का नाम दर्ज होने से रह गया। जिसे दुरूस्त करवने की अधिकारी है।प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता शायरा बानों ने उक्त नामांतरकरण संख्या 1157 के आधार पर अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वाके ग्राम मण्डावा में स्थित खसरा नम्बर 725/1 रकबा 4 बीघा तथा खसरा नम्बर 725/2 रकचा 1 बीघा कुल रकबा 5 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14/2/2006 को वादी को विक्रय कर दी तथा कब्जा मौके पर वादी को सौंप दिया। लेकिन राजस्व रिकार्ड में शायरा बानों का नाम जमाबंदी में नहीं आने से वादी का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका है। इसलिए वादी को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में 5 बीघा पुख्ता यानी 1.26 हेक्टर भूमि गत खसरा नम्बर 725/1 व 725/2 जिसके वर्ततान खसरा नम्बर 1744 व 1745 में से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।वादी द्वारा दिनांक 13/1/2023 को विक्रय पत्र दिनांक 14/2/2006 के आधार पर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

वादी के हक में करने हेतु निवेदन किया इस पर प्रतियादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 14/2/2006 के आधार पर वादी के हक में राजस्व रिकार्ड दर्ज करने से इन्कार करने और उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे अन्यत्र विक्रय करने की धमकी देने के कारण श्रीमान जी की अदालत में यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।सिद्धिरू-(क) यह कि वाद पत्र यादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुन्नू की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 725/2 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 725/1 रकबा 4 बीघा 19 विश्वा, खसरा नम्बर 641/2 रकबा 4 बीघा 17, खसरा नम्बर 641/1 रकबा 4 बीघा 2 विश्वा स्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 1744 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1745 रकबा 1.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 1746 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.78 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता सायरा का नाम दुरूस्त करते हुवे विक्रय पत्र दिनांक 14/2/2006 के आधार वादी को गत स्थित खसरा नम्बर 725/1 रकबा 4 बीघा तथा खसरा नम्बर 725/2 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 5 बीघा का जिसके वर्ततान खसरा नम्बर 1744 व 1745 में से खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) घोषित फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये कोर्ट नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 की बाद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही कोई उजर ऐतराज पेश नहीं किया ।

वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेत प्रर्दश-1 मिलान क्षेत्रफल, प्रर्दश-2 जमाबन्दी सम्वत 2029-32, प्रर्दश-3 जमाबन्दी सम्वत 2032-35, ,प्रर्दश-4 जमाबन्दी सम्वत 2041-44,प्रर्दश 5 जमाबन्दी सम्वत 2065-68,, प्रर्दश -6 जमाबन्दी सम्वत2069-72 प्रर्दश- 7 जमाबन्दी सम्वत 2012-2015, प्रर्दश- 8,नामान्तरकरणसंख्या 1157, प्रर्दश -9 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के मु.न. 141/1990 उनवान सुलेमान वगैरह बनाम हनीफ वगैरह में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.1991, प्रर्दश-10 विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2006 पेश किये गये।

तहसीलदार मण्डावा के पत्रांक 50 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी पक्ष का वादग्रस्त भूमि के ख.न. 1744,1745 के कुछ हिस्से पर कब्जा काश्त है।

वादी वकील के निवेदन पर एकपक्षिय बहस सुनी गयी। वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुन्नू की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 725/2 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 725/1 रकबा 4 बीघा 19 विश्वा, खसरा नम्बर 641/2 रकबा 4 बीघा 17, खसरा नम्बर 641/1 रकबा 4 बीघा 2 विश्वा स्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 1744 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1745 रकबा 1.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 1746 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.78 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता सायरा का नाम दुरूस्त करते हुवे विक्रय पत्र दिनांक 14/2/2006 के आधार वादी को गत स्थित खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

725/1 रकबा 4 बीघा तथा खसरा नम्बर 725/2 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 5 बीघा का जिसके वर्तातान खसरा नम्बर 1744 व 1745 में से खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

विवेचन

हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के मु.न. 141/1990 उनवान सुलेमान वगैरह बनाम हनीफ वगैरह में निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.11.1991 में पारित घोषणा की पालना में गत भूमि ख.न. 725/1 रकबा 04 बीघा एवं ख.न. 725/2 रकबा 01 बीघा कुल 05 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1157 दिनांक 08.06.1993 के द्वारा शायरा बानो पुत्री चान्दु के नाम से दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तरण के आधार पर शायरा पुत्री चान्दु से वादी द्वारा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 14.02.2006 के द्वारा कय किया जाना साबित है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1157 दिनांक 08.06.1993 का आगे की जमाबन्दियों(राजस्व रिकार्ड) में अंकन नही हुआ है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मण्डावा के भूमि ख.न. 1744 रकबा 0.25 है.,ख.न.,1745 रकबा 1.26 है., ख.न. 1746 रकबा 1.23 है, ख.न. 2273/1747 रकबा 0.8770 में विकय पत्र दिनांक 14.02.2006 की हद तक नामान्तरकरण संख्या 1157 दिनांक 08.06.1993 को बहाल करते हुए वादी को 05 बीघा यानी 1.26 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नामान्तरण संख्या 1157 दिनांक 08.06.1993 के बहाल होने पर शायरा बानो पुत्री चान्दु के हिस्से की हद के अतिरिक्त वर्तमान तक राजस्व रिकार्ड में हुए परिवर्तन यथा विकय या अन्य अन्तरण वैध करार दिये जाते है तथा पूर्व खातेदार शायरा बानो पुत्री चान्दु के हिस्से की हद में हुए अन्य अन्तरण (विकय पत्र/अन्य) शुन्य घोषित किये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा । तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एव रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या 06 / 2023 खादीम हुसैन बनाम फारूख वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.01.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मण्डावा के भूमि ख.न. 1744 रकबा 0.25 है.,ख.न.,1745 रकबा 1.26 है., ख.न. 1746 रकबा 1.23 है, ख.न. 2273 / 1747 रकबा 0.8770 में विकय पत्र दिनांक 14.02.2006 की हद तक नामान्तरकरण संख्या 1157 दिनांक 08.06.1993 को बहाल करते हुए वादी को 05 बीघा यानी 1.26 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नामान्तरण संख्या 1157 दिनांक 08.06.1993 के बहाल होने पर शायरा बानो पुत्री चान्दु के हिस्से की हद के अतिरिक्त वर्तमान तक राजस्व रिकार्ड में हुए परिवर्तन यथा विकय या अन्य अन्तरण वैध करार दिये जाते है तथा पूर्व खातेदार शायरा बानो पुत्री चान्दु के हिस्से की हद में हुए अन्य अन्तरण (विकय पत्र/अन्य) शुन्य घोषित किये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा ।

बसक्श्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.01.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा